संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

विन्ध्याचल भवन
"ग" खण्ड, प्रथम तल
भोपाल - 462004 (मप्र)

☎ - (0755) 2551199, 2552003
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.gov.in

क्रमांक वसूली/ब्रि.प्र.स./संविसं/2012/767
भोपाल दिनांक 2 अप्रैल 2012

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, मध्यप्रदेश
3. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख

अ. समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक
ब. समस्त निजी व्यवसायिक बैंक
स. समस्त क्षेत्रीय गांमीण बैंक

मध्यप्रदेश

विषयः- **ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में वसूली हेतु मार्गदर्शी अनुदेशों का निर्धारण**

ब्रिस्क प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा अनुमोदित ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में वसूली हेतु मार्गदर्शी अनुदेशों की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सतीश कुमार गुप्ता)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ब्रिस्क) एवं
संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक वसूली/ब्रि.प्र.स./संविसं/2012/768 **भोपाल दिनांक 2 अप्रैल 2012**

प्रतिलिपिः-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ब्रिस्क) एवं
संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

<u>योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में वसूली हेतु मार्गदर्शी अनुदेशों का निर्धारण</u>

ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से <u>अर्जित वसूली की जानकारी</u> का आंकलन Web-enabled BRISC software Application में दर्ज वसूली को आधार माना जायेगा। इसके परिप्रेक्ष में एपलीकेशन में जिले की बैंक शाखाओं द्वारा दिनांक **<u>15 अप्रैल</u>** तक दर्ज वसूली मान्य होगी। इस हेतु उत्कृष्ट वसूली निष्पादित करने वाले ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक तथा राजस्व अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार **रूपरेखा** एवं **<u>मापदण्ड/नियमावली</u>** (Guidelines/Rules) निर्धारित की जाती हैं:-

<u>मापदण्ड/नियमावली</u> (Guidelines/Rules)

1. आलोच्य वर्ष में ज़िले हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति;

2. ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से आलोच्य वर्ष तक की अवधि हेतु देय सम्पूर्ण राज्यांश राशि (कुल वसूली का 0.5 प्रतिशत मान से) संचालनालय में दिनांक 30 मई तक प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि तक राज्यांश की राशि प्राप्त **<u>नहीं</u>** होने पर ऐसे ज़िले को अपात्र माना जाएगा (प्रपत्र-1);

3. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले के पात्र राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा वसूल की गई कुल राशि का एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मय पूर्ण विवरण (प्रपत्र-4);

4. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत कलेक्टर के नाम व उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी (प्रपत्र-6);

5. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी (प्रपत्र-7)।

6. ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से आलोच्य वर्ष तक समस्त वर्षो का अंकेक्षण कराना। ज़िला स्तरीय ब्रिस्क लेखों का अंकेक्षण बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय द्वारा किया जाएगा;

निर्धारित मापदण्डों/नियमावली में से किसी भी एक मापदण्ड में चूक करने पर ज़िले के अधिकारी (यथा कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) को शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रोत्साहिकी प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी एवं **समग्र राज्यांश (विगत वर्षो सहित, यदि अभी भी शेष हों) प्राप्त न होने पर ज़िले की वसूली को प्रगति पत्रक में शामिल नहीं किया जायेगा।**

<u>उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के लिये प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान की रूपरेखा</u> :

1. **<u>राज्य स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार</u>:** आलोच्य अवधि में दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं सम्बन्धित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

2. **<u>आदिवासी बाहुल्य ज़िलों में राज्य स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार:</u>** राज्य एवं संभाग स्तर पर पुरस्कृत ज़िलों को छोड़कर आलोच्य अवधि में आदिवासी बाहुल्य (Tribal) ज़िलों (यथा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल एवं सीधी) में **<u>सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित</u>** करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं संबंधित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

3. **<u>संभाग स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार</u>:** राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले ज़िलों को छोड़ कर आलोच्य अवधि में <u>प्रत्येक संभाग</u> में लक्ष्य के विरूद्ध <u>सर्वाधिक प्रतिशत वसूली</u> अर्जित करने वाले ज़िले को पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं सम्बन्धित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को व्यक्तिगत पारितोषिक एवं प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर दिये जायेंगे।

4. **<u>वसूली अर्जित करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहिकी का निर्धारण</u>:** पुरस्कार प्राप्त ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को उनके ज़िले में हुई वसूली के आधार पर कुल वसूली गई राशि का क्रमशः 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहिकी देय होगी। विद्यमान प्रकियानुसार प्रोत्साहिकी राशि का नग़द भुगतान न करते हुए पुरस्कार प्राप्त अधिकारी द्वारा क्रय की गई कोई वस्तु, वित्तीय योजनाओं में निवेश, उच्च शिक्षण शुल्क का भुगतान अथवा निजी यात्रा के टिकिट/प्रतिभूति की रसीद/बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। व्यय की गई राशि निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक होने की स्थिति में आधिक्य राशि सम्बन्धित द्वारा वहन की जायेगी।

5. **<u>राज्य स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार</u>:** आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले तीन राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार / अपर-तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।

6. **<u>ज़िला स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार</u>:** उपरोक्त वर्ग (category) के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष तक की अवधि के दौरान प्रत्येक ज़िले में सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले एक राजस्व अधिकारी (तहसीलदार / अपर-तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।

7. शील्ड ज़िले के नाम से होगी जो ज़िला मुख्यालय में ही रखी जायेगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र व्यक्तिगत होगा।

8. आलोच्य वर्ष के दौरान एक से अधिक अधिकारी (यथा कलेक्टर/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) के कार्यरत होने पर अधिक वसूली करने वाले अधिकारी को राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में शील्ड कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को संयुक्त रूप से दी जायेगी।

9. ब्रिस्क प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा ज़िला ब्रिस्क लेखे का संपरीक्षा की अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया एवं निर्देशित किया कि जिन ज़िलों में बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय द्वारा संपरीक्षा नहीं कराई गई है अथवा जिन ज़िलों द्वारा संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा को देय संपरीक्षा शुल्क शेष है, ऐसे ज़िलों को पुरस्कृत होने वाले ज़िलों की सूची से पृथक कर दिया जाय।

- राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को आलोच्य वर्ष हेतु देय राज्यांश;

प्रपत्र-1

ज़िले का नाम	ज़िले में अर्जित कुल वसूली	0.5 प्रतिशत दर से देय राज्यांश	मुख्यालय प्रेषित राज्यांश	ड्राफ्ट क्रमांक व दिनांक	रिमार्क

- जिले में आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक-वार अर्जित वसूली की जानकारी;

प्रपत्र-2

ज़िले का नाम	ज़िले में कार्यरत बैंक का नाम	बैंकवार अर्जित वसूली	रिमार्क

- जिले में आलोच्य वर्ष के दौरान राजस्व अधिकारी वार अर्जित वसूली की जानकारी;

प्रपत्र-3

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ राजस्व अधिकारी का नाम	राजस्व अधिकारी द्वारा अर्जित वसूली	रिमार्क

- ज़िले द्वारा आलोच्य वर्ष हेतु राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी का प्रमाण पत्र;

प्रपत्र–4

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ राजस्व अधिकारी का नाम	राजस्व अधिकारी द्वारा अर्जित वसूली	1.0 प्रतिशत दर से राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी	ड्राफ्ट / चैक कमांक एवं दिनांक	रिमार्क

- आलोच्य वर्ष के दौरान शासकीय खाते में 3 प्रतिशत की दर से भुगतान की गई कार्यवाही ख़र्च की राशि का प्रमाण पत्र;

प्रपत्र–5

ज़िले का नाम	ज़िले में अर्जित कुल वसूली	3.0 प्रतिशत दर से देय कार्यवाही ख़र्च राशि	कोषालय में जमा की गई कार्यवाही ख़र्च राशि	चलान कमांक एवं दिनांक	रिमार्क

- आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में पदस्थ कलेक्टर, ब्रिस्क प्रकोष्ठ प्रभारी एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल अवधि में अर्जित वसूली;

प्रपत्र–6–अ

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क

प्रपत्र–6–ब

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क

xxxxx